

परियोजना का नाम:- एस.सी.पी. के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में वज्यूला मवई हरिनगरी मोटर मार्ग का निर्माण।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 10.04.2013 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री नारायण नाथ गोस्वामी, वन दरोगा, राजस्व विभाग की ओर से श्री मदन सिंह विष्ट, राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री हरीश सिंह, अपर सहायक अभियंता एवं श्री विनोद कुमार, सहायक अभियंता द्वारा भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि 1.939 है० सिविल सोयम भूमि 0.00 है० वन पंचायत भूमि 3.010 है० कुल 4.949 है० वन भूमि एवं 0.301 है० नाप भूमि प्रभावित होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है। आवेदित वन भूमि में न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार जिन वृक्षों का पातन किया जाना है उनकी सूची संलग्न है।

आवेदित वन एवं कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) निवास नहीं करते हैं और परियोजना के निर्माण से इन वर्गों के हित प्रभावित नहीं हो रही हैं।

(हरीश सिंह)
अपर सहायक अभियंता
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

(मदन सिंह विष्ट)
राजस्व उप निरीक्षक
राजस्व विभाग प्रतिनिधि

वन क्षेत्र अधिकारी
गढ़वाल वन क्षेत्र
वन विभाग प्रतिनिधि

बहसीलदार गरुड
जनपद-बागेश्वर

(विनोद कुमार)
सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

उपजिला अधिकारी
गरुड, जिला-बागेश्वर

अधिशाली अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

प्रतिहर

मिलाधिकारी

वन प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर